महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 323.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 15 जुलाई तक 323.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 12.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 372 मिली मीटर, पुसौर में 383, खरसिया में 275, घरघोड़ा में 350.1, तमनार में 265.9, लैलूंगा में 285.6, मुकडेगा में 354.5, धरमजयगढ़ में 256, छाल में 339.2 एवं कापू में 349.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

चक्रधर समारोह:कलाकार चयन समिति की बैठक 16 जुलाई को

रायगढ़। 39 वें चक्रधर समारोह वर्ष 2024 के आयोजन हेतु कलाकार चयन समिति की बैठक 16 जुलाई शाम 4.30 बजे जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट) के सभाकक्ष में रखी गई है।

आंगनबाड़ी के रिक्त पदों के लिये 1 अगस्त तक मंगाये गये आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण), जिला-रायगढ़ अंर्तगत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए 1 अगस्त 2024 तक आवेदन मंगाये गये है। परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना से प्राप्त जानकारी अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र कोटमार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 01 एवं आंगनबाड़ी केन्द्र नन्देली क्रमांक 3, केनाडीपा बायंग, डोंगरीपारा कांटाहरदी एवं कांटाहरदी क्रमांक 1 में आंगनबाड़ी सहायिका के 1-1 पद रिक्त है। इच्छुक आवेदिका नियत तिथि तक कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण) में आवेदन कर सकते है।

जामगा स्थित रेलवे फाटक में 16 जुलाई को सड़क यातायात रहेगी बंद

रायगढ़। सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि चौथी रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाने के लिए जामगा स्थित रेलवे फाटक में 16 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी।

इलेक्ट्रिकल एवं ड्रायवर के नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिये 31 जुलाई तक मंगाये गये आवेदन

रायगढ़। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक, ड्रायवर कम मैकेनिक के नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु 31 जुलाई 2024, शाम 5 बजे तक आवेदन मंगाये गये है। इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक कोर्स के लिए आठवीं उत्तीर्ण तथा ड्रायवर कम मैकेनिक हेतु पांचवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, रोजगार पंजी प्रमाणपत्र एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करना आवश्यक है। जो आवेदक किसी कारण से आई.टी.आई. में प्रवेश नहीं ले पाये हैं, वे इस कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण रायगढ़ शहरी आवेदकों के लिए है।

नवीन शासकीय कन्या कॉलेज सारंगढ़ के विभिन्न अतिथि पदों के लिए 22 तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नवीन शासकीय कन्या कॉलेज सारंगढ़ में अंग्रेजी, कॉमर्स, भौतिक, बॉटनी, रसायन गणित के सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल के पद रिक्त हैं, जिसके अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि शिक्षण सहायक या ग्रंथपाल सहायक पद के लिए योग्य आवेदक आवेदन पत्र 22 जुलाई 2024 के शाम 5 बजे तक रजिस्टर डाक से प्रेषित अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त) कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी कालेज के सूचना पटल और वेबसाइट ggc.sarangarh.nic.in (जीजीसीसारंगढ़ डॉट इन) से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सारंगढ़ में आँगनबाड़ी सहायिका भर्ती हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नगरपालिका सारंगढ़ के वार्ड 9 में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, गायत्री मंदिर के पीछे सारंगढ़ में 16 जुलाई 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्र 18 से 44 वर्ष होनी चाहिए। पार्षद या पटवारी से जारी निवास प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ शामिल करना होगा। नियत तिथि व समय पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

6 आरोपियों से करीब 15 टन कबाड़ और एक ट्रक जब्त : कबाड़ के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगाने पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्यवाही

- ट्रक में कबाड़ परिवहन कर रहे आरोपी तथा छापेमार कार्रवाई कर ढाबा, ट्रांसपोर्ट दुकान की आड़ में कबाड़ खरीदी करने वाले आरोपी को पुलिस टीम ने पकड़ा
- थाना पूंजीपथरा में आरोपियों पर चोरी की संपत्ति रखने के साथ पृथक से 170 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में कबाड़ के अवैध कारोबार पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने इस कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही जा रही है। इसी क्रम में 13 जुलाई थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पूंजीपथरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर ट्रक में अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे कबाड़ जप्त किया गया है। कबाड़ भरे ट्रक क्रमांक सीजी 13 ए.वाई 3801 को सालसर चौक शनि मंदिर गेरवानी के पास पकड़ा गया जिसमें लोड 9 टन अवैध कबाड़ (कीमती 3 लाख रूपये) की विधिवत आरोपी वाहन चालक दिलीप कुमार पिता चिंता प्रजापति उम्र 24 साल निवासी मौदहा थाना मौदहा जिला हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) के कब्ज से जप्ती किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में इस्तगासा धारा 35(क),(ड) BNSS/ 303(2) BNS के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है।

वहीं कल 14 जुलाई को पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम, डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर टीआई राकेश मिश्रा के नेतृत्व में क्षेत्र के ढाबा और ट्रांसपोर्ट दुकान की आड़ में अवैध रूप से कबाड़ की क्रय करने वाले स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर 05 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने ऋषभ रोड लाइंस पूंजीपथरा के पास कबाड़ दुकान संचालित करने वाले आरोपित सौरभ सिंह के कब्जे से पुराने साइकिल पार्ट्स, लोहे के खम्भे करीब 1 टन कबाड़ की जप्ती की गई। बिन्नी ढाबा पूंजीपथरा के पास आरोपी राकेश महंत के कब्जे से 19 बोरी मैग्नीज और 40 क्विंटल लोहे का स्क्रैप जप्त किया गया। महुआ ढाबा गेरवानी के पास आरोपी घनश्याम नाग के कब्जे से 13 बंडल सरिया (करीब 1 टन) की जप्ती की गई है। इसी प्रकार लक्की कबाड़ी दुकान गेरवानी के संचालक राजेश सोनी के पास करीब 1 टन कबाड़ और फिरोज दुकान के पीछे पूंजीपथरा के पास आरोपी मो0 शकील के कब्जे से 27 बोरी स्पंज और करीब 1 टन स्क्रैप की जप्ती पुलिस टीम द्वारा किया गया। कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों से करीब 15 टन 300 किलो स्क्रैप कीमत रु.4,88,000 लाख का जप्त किया गया है। आरोपियों पर चोरी की संपत्ति रखने के आशंका पर थाना पूंजीपथरा में पृथक-पृथक इस्तगासा धारा 35(क),(ड) BNSS/ 303(2) BNS की कार्रवाई की गई तथा आरोपियों पर धारा 170 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।

छापेमार कार्यवाही में गिरफ्तारी आरोपी – (1) सौरभ सिंह पिता रंजीत सिंह उम्र 19 साल मलहार थाना देव, औरंगाबाद बिहार हाल मुकाम पूंजीपथरा (2) राकेश महंत पिता बसंत महंत 30 साल ग्राम भेण्ड्रा घरघोड़ा हाल बिन्नी ढाबा पूंजीपथरा (3) घनश्याम नाथ पिता बिहानू नाग उम्र 30 साल निवासी कर्रादेवरा बागबहार जशपुर हाल महुआ ढाबा गेरवानी (4) राजेश सोनी पिता जय नारयण सोनी 30 साल इंदिरानगर गेरवानी (5) मोहम्मद शकील पिता मोहम्मद असलम उम्र 26 साल हरचंदा माली टोला थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल मुकाम तराईमाल पूंजीपथरा।

अवैध कबाड़ पर की गई कार्यवाही में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक विजय एक्का, जयराम सिदार, प्रधान आरक्षक अमित तिर्की, विनीत तिर्की, राधेश्याम कमल, आरक्षक बालचंद राव, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अभिषेक द्विवेदी, ओम तिवारी, अमित नट, नरेन्द्र पैंकरा शामिल थे।

दो दिनों से लापता मानसिक रूप से बीमार युवक को तमनार पुलिस ने खोजबीन कर किया स्वजनों के सुपुर्द

रायगढ़

दिनांक 14/07/2024 के रात्रि थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर को बस स्टैण्ड के पास एक मानसिक रूप से कमजोर युवक द्वारा आने-जाने वाले लोगों को परेशान करने के संबंध में सूचना मिला। थाना प्रभारी द्वारा पेट्रोलिंग स्टाफ को बस स्टैण्ड पहुंचने का पाइंट दिया गया। एएसआई खेमराज बस स्टैण्ड पहुंचे और युवक को काबू में लिये। युवक से पूछताछ करने पर उसकी मानसिक स्थिति उचित प्रतीत नहीं होने से एएसआई द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी द्वारा युवक के वारिसान के पता लगाने सभी स्टाफ को निर्देशित कर युवक के फोटोग्राफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया तथा पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा देर रात युवक को पेट्रोलिंग वाहन में बिठाकर उसके वारिसान की पतासाजी की जा रही थी कि एक व्यक्ति ने उसे टिहलीरामपुर का होना बताया। एएसआई खेमराज पटेल युवक को ग्राम टिहलीरामपुर लेकर गये। जहां उसके परिजन मिले। युवक के पिता ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका रायगढ़ में ईलाज चल रहा है करीब एक सप्ताह पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने घर लाए है, पिछले दो दिनों से युवक लापता है जिसे रिस्तेदारी और आसपास के गांव में पता कर रहे थे। एएसआई खेमराज पटेल द्वारा युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर युवक का विशेष ध्यान देने कहा गया।

खड़ी ट्रेलर वाहन से मशीनरी पार्ट की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पार्ट्स बेचने ग्राहक तलाश करने के दौरान जूटमिल पुलिस ने दबोचा

- आरोपी से 4 नग एसीएम पार्टस और एक बुलेट मोटर सायकल जब्त

रायगढ़

थाना जूटमिल में दिनांक 11/07/2024 को ट्रेलर वाहन मलिक दीपक सिंह पिता कैलाश सिंह उम्र 27 साल वार्ड क्रमांक 35 थाना के पीछे जूटमिल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 एबी- 8707 को ड्राइवर 09 जुलाई को वासुदेव पेट्रोल पंप के सामने उड़ीसा रोड पर खड़ी किया था जिसका एसीएम मशीन (इंजन के पास लगने वाला पार्ट्स) को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 323/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

माल मुल्जिम पतासाजी दौरान रिपोर्टकर्ता दीपक सिंह और गवाहों से पूछताछ करने पर पुराने पार्ट्स की खरीदी बिक्री करने वाले संदीप डे पर शंका जाहिर किये। तत्काल जूटमिज पुलिस द्वारा संदीप डे को रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल में कुछ सामान बेचने के दौरान हिरासत में लिया गया। संदेही संदीप डे से चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर उसने एक सप्ताह पहले उड़ीसा रोड पर खड़ी ट्रेलर वाहन से एसीएम पार्ट्स चोरी कर पार्ट्स में पॉलिश कर नया स्टीकर लगाकर बेचने ग्राहक तलाश करना बताया जिसके पेश करने पर 04 नग सिल्वर अल्युमिनियम धातु से बना एसीएम पार्ट्स (01 नया और 03 पुराने) तथा 44 नग स्टीकर जिसमें Cummins India limited Part no- TI372020 लिखा हुआ एवं बुलेट CG 12-BE-4718 (जुमला कीमती-रु.3,40,000) जप्त किया गया। आरोपी संदीप कुमार डे पिता तरुण कुमार डे उम्र 29 वर्ष निवासी राताखार गणेश चौक थाना कोतवाली जिला कोरबा हाल मुकाम दुर्गा चौक मिट्ठूमुडा किराया का मकान थाना जूटमिल जिला रायगढ़ को जूटमिल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक खीरेन्द्र जलतारे, आरक्षक लखेश्वर पुरसेठ, शशि भूषण साहू एवं पेट्रोलिंग स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

नाबालिग को भगा ले जाने वाला युवक जांजगीर-चांपा के नवागढ़ से गिरफ्तार

- कोतरारोड पुलिस ने गुम बालिका को दस्तयाब कर आरोपी को पॉक्सो एक्ट में भेजा जेल

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर गुम नाबालिक की खोज में कोतरारोड़ पुलिस को पिछले डेढ़ साल से लापता बालिका को ढूंढ निकालने में सफलता मिली है। 08 सितंबर 2024 को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा गुम बालिका को जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र से दस्तयाब किया गया। बालिका को भगा ले जाने वाला युवक फरार था जिसे आज गिरफ्तार कर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

गुम बालिका के संबंध में 12 सितंबर 2022 को थाना कोतरारोड़ में बालिका के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 09 सितंबर को बालिका स्कूल जाने के नाम पर घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं आयी। बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 252/2022 धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी पर अपराध पंजीकृत कर गुम बालिका को पता तलाश में लिया गया। पतासाजी के क्रम में बालिका के परिजन, सहेलियों से पूछताछ करने पर बालिका के जिला जांजगीर चांपा थाना नवागढ़ क्षेत्र के युवक परमेश्वर अजगल्ले के साथ मित्रता होने की जानकारी मिली। संदेही युवक और बालिका मोबाइल बंद कर छिप कर रहे थे, दोनों के रहने के स्थान की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी।

गुम इंसान की खोज के विशेष अभियान में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा लंबित गुम नाबालिगों की खोज के लिये नये सिरे से मुखबीरों को एक्टिव कर जानकारी ली गई जिसमें संदेही परमेश्वर अजगल्ले के गांव में देखे जाने की जानकारी मिली जिस पर तत्काल थाने से प्रधान आरक्षक करुणेश राय के साथ टीम जांजगीर चांपा रवाना किया गया। कोतरारोड़ पुलिस द्वारा थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक भास्कर शर्मा व उनके स्टाफ के साथ संदेही के घर दबिश दिया गया। संदेही परमेश्वर अजगल्ले के घर पर गुम बालिका मिली जिसे साथ रायगढ़ लाया गया। युवक फरार था। बालिका ने अपने कथन में संदेही परमेश्वर अजगल्ले से बातचीत और प्रेम संबंध होने की जानकारी दी और बताई कि 9 सितंबर 2022 को परमेश्वर द्वारा शादी का झांसा देकर रेलवे स्टेशन रायगढ़ बुलाकर ट्रेन में बिठाकर दिल्ली ले जाना और किराया मकान में रखकर शारीरिक संबंध बनाना बतायी। उसके बाद बालिका को गांव में छोड़कर परमेश्वर अलगल्ले काम करने उड़ीसा चला गया था। बालिका के कथन, मेडिकल रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर बालिका का बाल कल्याण समिति से काउंसलिंग कराया गया। फरार आरोपी को आज नवागढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर थाने लाया गया। आरोपी परमेश्वर अजकल्ले पिता शत्रुघन अजगले उम्र 23 साल निवासी थानाक्षेत्र नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा द्वारा घटना स्वीकार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी, मेडिकल आदि की औपचारिकताएं पूर्ण कर आज आरोपी को रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में बालिका की पतासाजी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक करूणेश राय, बाबूलाल पटेल आरक्षक कमलेश सागर की अहम भूमिका एवं थाना प्रभारी नवागढ़ व स्टाफ का विशेष सहयोग रहा है।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना शिविर में 43 बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

- 19 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा

सारंगढ़ बिलाईगढ़

मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग क़े सहयोग से कोसीर ग्राम पंचायत में 43 गंभीर कुपोषित बच्चों का परीक्षण कर दवाएं उपलब्ध करवाई गई। 19 कुपोषित बच्चों को सुपोषण क़े लिए पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में नियमित जाकर भरण पोषण और आहार का नियमित सेवन करने के लिए चयन किया गया है।

इस योजना अंतर्गत कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी लाने हेतु योजना का संचालन कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण एवं बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

सभी नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने 16 से 31 जुलाई तक अभियान

- कलेक्टोरेट और जनपद पंचायत में कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले के 79.9 प्रतिशत जनसंख्या का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। कलेक्टर धर्मेश साहू ने सभी नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिले में छूटे हुए सभी व्यक्तियों को अभियान में जोड़कर उनका शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड पंजीयन करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए 16 से 31 जुलाई 2024 तक जिले में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की प्रारंभिक तैयारी विगत एक सप्ताह से सारंगढ़ के कलेक्टोरेट और जनपद पंचायत में लगातार पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारी को नियमित रूप से आवश्यक प्रशिक्षण, लोकेशन बदलने के लिए आदेश और अन्य आवश्यक सारी सुविधाएं मुहैया कराया गया है ताकि वह घर-घर जाकर छूटे हुए व्यक्तियों का आधार अपडेट और आयुष्मान कार्ड बनाएं।

आयुष्मान कार्ड से लाभ

आयुष्मान कार्ड से प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के नि:शुल्क उपचार का लाभ है। देशभर के किसी भी चिह्नित सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त ईलाज की सुविधा है। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान उपचार व भोजन और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बात तक का चेकअप व दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आयुष्मान कार्ड से कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया डायलिसिस, घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण, नि:संतानता, मोतियाबिंद और अन्य चिह्नित गंभीर बीमारियों का नि:शुल्क उपचार किया जाता है।

जिला न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने जेल का किया निरीक्षण

- बंदियों से की मुलाकात, सुविधाओं की ली जानकारी
- जिला जेल रायगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

रायगढ़

प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ जितेन्द्र कुमार जैन ने गत दिवस जिला जेल रायगढ़ का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुरूष एवं महिला बैरक का भी निरीक्षण कर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।

प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा बंदियो से मिलकर उनके मामलों के संबंध में पूछताछ कर विधिक साक्षरता शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 एवं नालसा द्वारा समय-समय पर पात्र बंदियों की रिहाई हेतु चलाये जा रहे अभियान के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बंदियों के मामले में उनकी ओर से जिला में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं पैनल अधिवक्ता मामले में पैरवी करेंगे तथा जमानत आदि की कार्यवाही करेंगे। छोटे अपराधों में निरूद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बे समय से जेल में है उन्हें जेल लोक अदालत में अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर रिहा हो सकने की जानकारी दी गई। साथ ही कैदियों को मिलने वाली भोजन एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। जिला जेल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, जेल की क्षमता, बंदियों के लिये विडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से मुलाकात करने एवं न्यायालय पेशी में उपस्थित होने के संबंध में समीक्षा की गई।

शिविर देवेन्द्र साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंकिता मुदलियार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ तथा जिला जेल के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं पैरालीगल वालिंटियर उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480